

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

पत्रांक- २६५६/१४-१, (कैम्प चन्दौसी) दिनांक २-अप्रैल २०१९

२०१९

सेवा में,

श्री मनीष कुमार सिंह,

डिवीजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार आयल लि०)

2314, तृतीय तल टावर-ए दि कोरिएन्थम,

ए-४१ से०-६२, नोएडा।

विषय:-

सम्भल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन०एच-९३) नया एनएच०-५०९ कि०मी० १८६ चैनेज १८६.१८० की दौंयी पटरी पर ग्राम अफजलपुर डरौली के खसरा संख्या-६८३ पर मै० नयारा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.१७३२४८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ११ वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-१९७६/ FP/UP/ OTHERS/ 33049/2018 लखनऊ दिनांक २२-०४-२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) जो कि अधोहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठांकित है के माध्यम से विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ की पत्र संख्या-८बी/यू०पी०/०६/२७/२०१९/एफ०सी०/३२, दिनांक ११-०४-२०१९ द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त संख्या-१ से ९ तक के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-२५०१/११सी, दिनांक २४-०५-२०१६ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या- ३८४/२-३७-२ (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक १४-०९-२०१५ (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र (पाँच-पाँच प्रतियाँ मूल में) तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

- १- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में ११० (११x१०=११०) वृक्षों के रोपण एवं १० वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० ११२८७५/- (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ऑन लाईन ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- २- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ०सी०, दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के अनुसार निर्धारित वांछित धनराशि रू०-१०८४५४/-) ऑन लाईन ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- २- (ख) इसके उपरान्त आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार

विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

- 2- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- 3- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांतर एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
- 4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उपर्युक्त वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।
- 5- पेट्रोल पम्प की चहारदीवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा, जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जायेगी।
- 6- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- 7- पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शैचालय आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारों वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुँच सके।
- 8- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- 9- इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

छपान:-

बाधक वृक्षों छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (लाट) दिनांक 23-09-2014 के बिन्दु सं0- 2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0-10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 11 वृक्षों की वृक्ष दर 10/- रू0 प्रति वृक्ष) 110/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं /वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0के चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

आर०सी०सी० पोल पंक्ति वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण कार्य

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरण कार्य (क) गड्ढों का साईज-0.60×0.60×0.60 मी०	110	प्रति गड्ढा	1.05	115.50
2	गोबर की खाद का मूल्य (क) गड्ढों का साईज-0.60×0.60×0.60 मी०	110	प्रति गड्ढा	6.13	674.30
3	8 से-12 फिट की पौध का क्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त	113	प्रति पौध	70.00	7910.00
4	पौध का ढुलान (10 से 20 किमी० दूरी) 3 प्रतिशत अतिरिक्त	113	प्रति पौध	17.50	1977.50
5	पौध का स्थानीय ढुलान	110	प्रति पौध	3.50	385.00
6	पौधारोपण कार्य	110	प्रति पौध	12.25	1347.50
7	सिचाई कार्य- 9 बार	990	प्रति पौध	1.19	1178.10
8	निराई-गुडाई कार्य-3 बार	330	प्रति पौध	1.31	432.30
9	पूरिंग कार्य	110	प्रति पौध	0.88	96.80
10	रासायनिक उर्वरक		एक मुश्त		825.00
11	आर०सी०सी० खम्भों की ग्राउटिंग	110	प्रति खम्भा	196.00	21560.00
12	खम्भों का स्थानीय ढुलान	110	प्रति खम्भा	3.29	361.90
13	तार की खिंचाई	1898	प्रति र०मी०	0.85	1613.30
14	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		1522.80
	योग-				40000.00

प्रथम वर्ष अनुरक्षण 10 प्रतिशत वीटिंग अप सहित

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	(ख) गड्ढों का खुदान साईज-0.60×0.60×0.60	11	प्रति गड्ढा	11.20	123.20
2	8 से 12 फिट की पौध का क्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त	12	प्रति पौध	70.00	840.00
3	पौध का ढुलान (10 से 20 किमी० दूरी) 3 प्रतिशत अतिरिक्त	12	प्रति पौध	17.50	210.00
4	पौध का स्थानीय ढुलान	11	प्रति पौध	3.50	38.50
5	पौधारोपण मय थावला बनाई	11	प्रति पौध	12.25	134.75
6	सिचाई कार्य- 12 बार	1320	प्रति पौध	1.19	1570.80
7	निराई-गुडाई कार्य-3 बार	330	प्रति पौध	1.31	432.30
8	पूरिंग कार्य	110	प्रति पौध	1.40	154.00
9	रासायनिक उर्वरक		एक मुश्त		750.00
10	तारबाड़ की मरम्मत		ल०स०		800.00
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		1046.45
	योग-				6100.00

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई कार्य- 10 बार	1100	प्रति गड्ढा	1.19	1309.00
2	निराई-गुडाई कार्य-3 बार	330	प्रति पौध	1.31	432.30
3	पूरुनिग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		870.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		996.20
	योग-				3800.00

तृतीय वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई कार्य- 10 बार	1100	प्रति गड्ढा	1.19	1309.00
2	निराई-गुडाई कार्य-3 बार	330	प्रति पौध	1.31	432.30
3	पूरुनिग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		870.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		996.20
	योग-				3800.00

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई कार्य- 8 बार	880	प्रति गड्ढा	1.19	1047.20
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	पूरुनिग कार्य- 1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		550.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		722.10
	योग-				2800.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई कार्य- 8 बार	880	प्रति गड्ढा	1.19	1047.20
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	पूरुनिग कार्य- 1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		770.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		702.10
	योग-				3000.00

षष्ठम् वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 06 बार	660	प्रति गड्ढा	1.19	785.40
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध.	1.31	288.20
3	प्रूनिंग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		368.90
योग-					1635.00

सप्तम् वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 06 बार	660	प्रति गड्ढा	1.19	785.40
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	प्रूनिंग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		368.90
योग-					1635.00

अष्टम् वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 06 बार	660	प्रति गड्ढा	1.19	785.40
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	प्रूनिंग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		368.90
योग-					1635.00

नवम् वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 06 बार	660	प्रति गड्ढा	1.19	785.40
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	प्रूनिंग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		368.90
योग-					1635.00

दशम् वर्ष अनुरक्षण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 06 बार	660	प्रति गड्ढा	1.19	785.40
2	निराई-गुडाई कार्य-2 बार	220	प्रति पौध	1.31	288.20
3	प्रूनिंग कार्य -1 बार	110	प्रति पौध	1.75	192.50
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		368.90
योग-					1635.00

व्यय का सारांश (दस वर्षों तक)

क्रम सं०	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2	3
1	अग्रिम मृदा कार्य	45200.00
2	वृक्षारोपण कार्य	40000.00
3	प्रथम वर्ष	6100.00
4	द्वितीय वर्ष	3800.00
5	तृतीय वर्ष	3800.00
6	चतुर्थ वर्ष	2800.00
7	पंचम वर्ष	3000.00
8	षष्ठम् वर्ष	1635.00
9	सप्तम वर्ष	1635.00
10	अष्टम वर्ष	1635.00
11	नवम् वर्ष	1635.00
12	दशम् वर्ष	1635.00
13		112875.00

नोट :-

1. प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-526/11-सी दिनांक-09.09.2016 द्वारा निर्धारित प्रति है० सीलिंग दर के अनुसार बनाया गया है।
2. प्राक्कलन में प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत बीटिंग-अप का प्रावितधान किया गया है।
3. उक्त दरों में महंगाई व मुद्रास्फीति (Cost Escalation) को ध्यान में रखते हुये तृतीय वर्ष (प्रथम अनुरक्षण) से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि को भी समोवशित कर लिया गया है।


 (डी०के० चतुर्वेदी)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।